



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2012—आश्विन 30, शक 1934

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-07-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 12 तथा 13 के साथ पठित धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (मंडी समिति का निर्वाचन) नियम, 1997 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

उक्त नियमों में, नियम 84 में, उपनियम (2) में, शब्द “प्रत्येक सदस्य” के स्थान पर, शब्द “प्रत्येक निर्वाचित सदस्य” स्थापित किये जाएँ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-07-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 22 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd October 2012

No. D-15-07-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred under section 79 read with Sections 12 and 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby amends already published Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Mandi Samiti Ka Nirvachan) Rule, 1997 as per Provisions under sub-section (1) of Section 79 of the said Adhiniyam :—

RULES

In the said rules, in Rule 84, in sub-rule (2), for the words “every member” the words “every elected member” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.